अंक : 3

वर्ष 2008

सत्यमेव जयते

पथ भारती

सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

नि:शुल्क वितरण के लिए

पथ भारती

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की गृह पत्रिका)

संरक्षक :
श्री ब्रह्मदत्त
सचिव, भारत सरकार

प्रधान संपादक :
श्री सरोज कुमार दास
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

कार्यपालक संपादक
श्री उमा दत्त भार्गव
उप सचिव, भारत सरकार

संपादक :
श्री सुनील कुमार
उप निदेशक (राजभाषा)

उप संपादक :
श्री राकेश बी. दुबे
सहायक निदेशक (राजभाषा)

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं और विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

संपर्क सूत्र

संपादक
पथ भारती
सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग,
भूतल, कमरा नं० 18, परिवहन भवन,
1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

3531 SRTH/08—1A

विषय सूची

क्र. सं.	लेख	लेखक सर्वश्री	पृष्ठ संख्या
1.	आज भी प्रासंगिक हैं गांधीजी के विचार (लेख)	प्रा. (डॉ.) रामचन्द्र माली	1
2.	सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंध (लेख)	अवधेश कुमार सिंह भदौरिया	6
3.	राजपथ-सा (कविता)	मधुर गंजमुरादाबादी	13
4.	द्विभाषिकता-राजभाषाई परिवर्तन के बीच की कड़ी (लेख)	रघुनाथ सहाय	14
5.	शहीद हवलदार सुकमान सुब्बा एवं भारतीय गोरखा समाज (लेख)	प्रद्युम्न श्रेष्ठ	17
6.	अतीत के झरोखे से–त्रेता युग के वैज्ञानिक चमत्कार (पौराणिक लेख)	गोपाल कृष्ण फरलिया	19
7.	राष्ट्र के विकास में राजभाषा का योगदान (लेख)	राजेश पंकज	23
8.	राजमार्ग निर्माण प्रबंधन (लेख)	आर.के. धीमान	25
9.	तेरहवीं (कहानी)	सुरेन्द्र कुमार	31
10.	परिधि (कविता)	सुश्री आशमा कौल	35
11.	नई विश्व भाषा–ग्लोबिश (लेख)	राकेश कुमार	37
12.	सतर्कता जागरुकता का प्रसार-भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सही कदम (लेख)	प्रेम कुमार कुलदीप	39
13.	झील (कविता)	श्रीमती मनजीत शर्मा 'मीरा'	44
14.	''. . . . मुलाकात हो गयी'' (लेख)	बाल शेखर दिवाकर	46
15.	मैं मुंशी प्रेमचन्द नहीं बन सकता (कहानी)	जे.जे. श्रीवास्तव 'ज्योति'	52
16.	इक्कीसवीं शताब्दी की वैश्विक समस्याएं और तुलसीदास (लेख)	पी.आर. वासुदेवन	55
17.	जीवन का मूल्य-सेवा (लेख)	रामनिवास गोयल	59
18.	'वापसी' (कहानी)	अनिता अनुराग	60
19.	कल का काला पानी (कविता)	मंगत राम	63
20.	कविता एक यात्रा (कविता)	महेन्द्र सिंह दयाल	64
21.	पिछली हिन्दी सलाहाकार समिति - के गैर सरकारी सदस्यों के पते		65

प्रधान संपादक की कलम से

पथ भारती का तीसरा अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । पथ भारती पत्रिका के प्रकाशन का शुरु से यह उद्देश्य रहा है कि सुधी पाठकों को विविध विषयों पर रोचक, उपयोगी, ज्ञानवर्धक और पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाए । वर्तमान अंक की प्रस्तुति इसी उद्देश्य के अनुसार की जा रही है ।

पथ भारती के इस अंक में विभाग से संबंधित विषयों - सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंध, राजमार्ग प्रबंधन जैसे तकनीकी लेख; "अतीत के झरोखे से–त्रेता युग के वैज्ञानिक चमत्कार" संबंधित सांस्कृतिक लेख; आज भी प्रासंगिक हैं गांधी जी के विचार; 21वीं सदी की वैश्विक समस्याएं और तुलसीदास, सतर्कता जागरूकता का प्रसार-भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सही कदम, जैसे समसामयिक लेखों और कहानी, कविता आदि का समावेश किया गया है ।

पत्रिका के लिए सामग्री का चयन करते समय प्रयास किया गया है कि यह अधिक से अधिक पाठकों की रुचि के अनुकूल हो ।

पथ भारती पत्रिका के नियमित रूप से प्रकाशन के लिए आप सबके विचार, सहयोग और रचनाएं वांछनीय हैं । इस पत्रिका को और अधिक आकर्षक तथा उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझावों का सदैव स्वागत है । मैं आशा करता हूं कि सुधी पाठक इस अंक के बारे में अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवश्य अवगत कराएंगे ताकि भविष्य में इसमें और सुधार किए जा सकें ।

(सरोज कुमार दास)

आज भी प्रासंगिक हैं गांधीजी के विचार

प्रा. डॉ. रामचन्द्र माली

"आए तो जाएंगे इसका गम ना करना,
नया पथ सीखा गए ये हमेशा याद रखना,
है उजाला सूर्य का बहुत ज्यादा, ठीक है
रात को अपने प्रेम दीपक को जलाए रखना ।
चांद जितना जरूरी है ईद की खुशियों के लिए,
गांधी भी उतना ही प्रासंगिक है जीवन में बंधुत्व के लिए ।
सहयोग और भाई चारे का नाम है गांधी,
टूटते संकल्पों को जोड़ने का नाम है गांधी,
अंतर-आत्मा की आवाज है गांधी ।"

भारत के सम्पूर्ण स्वतंत्रता आन्दोलन की किसी भी घटना पर दृष्टिपात किया जाए तो गांधीजी ने अपना आत्मविश्वास और कर्मशील प्रवृत्ति को कभी त्यागा नहीं लेकिन वे कभी भी आक्रामक नहीं हुए क्योंकि उनको अपने आप पर पूरा भरोसा था। हमें क्या चाहिए इसकी उन्हें समझ थी, उनका ध्येय सकारात्मक था इसीलिए वे अपने ध्येय की दिशा की ओर बढ़ते रहे। इसका मुख्य कारण था उनका प्रबल आत्मविश्वास, जिसे वे सबसे बड़ा साथी मानते थे । 'मोहनदास करमचंद गांधी' का 'जन्मदिन दो अक्टूबर' अब 'अन्तरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। गांधीजी का जीवन दार्शनिकता के कई पक्षों को खोलकर मानव- मानव में बंधुत्व, प्रेम, शांति और सहयोग के बीज बोता है।

वे सत्य, सेवा, समानता, सद्भावना, सद्विवेक, सादगी, सफाई और सर्वोदय के माध्यम से सामाजिक उद्धार और देश की प्रगति के लिए जूझते रहे।

जीवन के कठिनतम क्षणों में भी वे अपनी आस्था से जुड़े रहे। वे सत्य के साथी थे। वे नैतिकता परक जीवन के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने सात कर्मों को जीवन का पाप माना है। जैसे–

(1) सिद्धांतविहीन राजनीति करना।

(2) नैतिकता के बिना व्यापार करना।

(3) विज्ञान और तंत्र मानव विहीन व्यर्थ है।

(4) चरित्र बिना ज्ञान व्यर्थ है।

(5) कर्मविहीन सम्पति एकत्रित करना घातक है।

(6) आनंद और यश दूसरों को अपमान देकर या दुःख देकर प्राप्त करना गलत है।

(7) पूजा-भक्ति में त्याग का न होना।

इन सात कर्मों को वे जीवन का आधार मानते थे।

हिमालय सी उन्नत और गंगा सी पावन गांधी विचारधारा को भारत के उत्थान और सांस्कृतिक चेतना की धरोहर माना जा सकता है। तीस वर्षों तक यह विचारधारा भारतीय राजनीति ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन-संस्कृति को भी सींचती रही है और आने वाले समय में भी जीवन की सादगी के लिए आवश्यक है। योग-सूत्र और भगवद्गीता के भाष्य, मंत्रोपदेष्ठा महात्माजी के विराट व्यक्तित्व और महिमाशाली कृतित्व ने भारतीय जनजीवन और जीवन दर्शन को अत्यधिक प्रभावित किया। जिसका प्रभाव तत्कालीन भारत के समाज, राजनीति, धर्म साहित्य आदि पर देखा जा सकता है।

महात्मा गांधी संसार के महानतम क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं। उनकी अक्सर गौतम बुद्ध और ईसा मसीह से तुलना की जाती है। भारत वर्ष और बाहर के देशों के असंख्य मनुष्यों के लिए वह भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ तत्वों के और जीवन को अहिंसामय बनाने की शाश्वत प्रेरणा के प्रतीक हैं। गांधीजी कर्मयोगी, व्यावहारिक, आदर्शवादी तथा प्रयोगवादी थे। उन्होंने सिर्फ

3531 SRTH/08—2A

वही सिखाया जिस पर उन्होंने व्यवहार किया और जिस पर हर कोई प्रयत्न करके अपने जीवन को गति दे सकता है।

पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में–

''एक बड़ी भारी मूर्ति की तरह बापू हिन्दुस्तान के इतिहास की आधी सदी में पांव फैलाकर खड़े हैं। वह बड़ी भारी मूर्ति शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा की है।''

उनका दर्शन, उनका पथ, उनकी साधना और प्रयोग सभी की अभिव्यक्ति उनके सत्य, अहिंसा, प्रेम शब्दों में व्यक्त हैं। वे कोरे दार्शनिक, विशुद्ध कल्पनाशील विचारक अथवा रूखे सिद्धांतवादी नहीं थे।

गांधीजी महर्षि दयानंद अथवा अरविन्द के समान न तो बहु अधीत थे और न प्रकान्ड पण्डित ही, न उनमें केशवचन्द्र की वाग्मिता थी और न विवेकानंद की तेजस्विता। अपने सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, जो उनके पूर्ववर्ती विचारकों एवं महापुरुषों ने न कही हो। किन्तु गांधी जी की महानता इसमें है कि उन्होंने साधनापूर्वक अपने आचरण में सभी प्राचीन सत्यों को उतारा और इस प्रकार सारे संसार के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो उपदेश अनन्तकाल से दिए जा रहे हैं, उनकी सार्थकता इसमें है कि उनका जीवन में पालन किया जाए। गांधीजी ने यह सिद्ध किया कि अपने आचरण द्वारा साधारण से साधारण व्यक्ति भी मानवता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। वस्तुतः ज्ञान के स्तर पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक एवं अरविंद ने जिस दर्शन की संरचना की, उसे गांधी ने अपने कार्य में परिणत किया।

महात्माजी का विचार था कि मनुष्य का व्यक्तिगत और सामूहिक उद्धार इस बात में है कि वह अपने भीतर की पशुता का परित्याग कर उन गुणों की वृद्धि करे जो उसे पशु से भिन्न करें। मानवता को अपनाकर सच्चा इंसान बने, उनकी अहिंसा केवल अनाघात का पर्याय नहीं है। बल्कि वह प्राणियों के प्रति आन्तरिक प्रेम और भक्ति की भी व्यंजक है। किसी से प्रेम भी करना और क्रिया द्वारा उसे धोखा देना, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। जहां प्रेम है वहीं सत्य का वास है और जहां प्रेम और सत्य रहते हैं, वहीं क्रिया अनिवार्य रूपेण अहिंसामयी हो जाती है। गांधीजी केवल कायिक और वाचिक अहिंसा में ही नहीं बल्कि बौद्धिक अहिंसा में भी विश्वास करते थे और इसी बौद्धिक अहिंसा ने उन्हें समझौतावादी और विरोधियों के प्रति भी श्रद्धालु बना दिया था।

21 जुलाई, 1946 के हरिजन पत्र में उन्होंने लिखा था–

''मेरा अनुभव है कि अपनी दृष्टि से मैं सदा सत्य ही होता हूं, किन्तु मेरे ईमानदार आलोचक तब भी मुझ में गलती देखते हैं। पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में हैं। आज मैं विरोधियों को प्यार करता हूं क्योंकि अब मैं अपने को विरोधियों की दृष्टि से भी देख सकता हूं। मेरा अनेकान्तवाद सत्य और अहिंसा, इन युगल सिद्धांतों का ही परिणाम है।''

वे संत, महात्मा, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक ही नहीं बल्कि महर्षि परम्परा के महामानव भी थे।

शिव मंगल सिंह 'सुमन' के शब्दों में,–

''शांति और समता के उद्घोषक गांधी कठोर कर्मठ, नैतिक साधक और जीवन जगत की गतिविधि का साक्षात्कार करने वाले अत्यंत व्यावहारिक महापुरुष थे। युग की विभीषिकाओं के विष का पान करने वाले नीलकण्ठ थे।''

पिछली तीन शताब्दियों में सूर और तुलसी के समान कोई प्रभावशाली, तेजस्वी, लोकनायक, दिशा निर्देशक भक्त नहीं हुआ किन्तु बीसवीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले गांधीजी भक्त के रूप में अवतरित हुए।

संत, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक व दीनोद्धारक आदि अनेक रूपों में गांधी जी का अध्ययन हुआ किंतु भक्त के रूप में नहीं हुआ। वे राम भक्त थे। वे रोम-रोम से राममय थे। उनका हृदय रामभक्ति से ओत-प्रोत था। वे मन, वचन, कर्म से रामरंग में रंगे हुए थे। कठोर साधना और अगाध भक्ति के बिना रामरंग में रंग जाना सम्भव नहीं हो सकता। राम में अनका अटूट विश्वास था। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे कहते थे–निर्बल के बल राम। 'रघुपति राघव राजाराम' के आदर्शवादी जीवन से वे बहुत प्रभावित थे इसलिए उक्त धुन उन्हें अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने ईर्ष्या, द्वेष, दंभ एवं क्रोध पर

3531 SRTH/08—2B

विजय प्राप्त की भी। वे मानते थे कि ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अपरिग्रह तपस्या ये जीवन के आधार स्तम्भ हैं। उनके जीवन में सहिष्णुता का मापदण्ड जीवन की धरोहर है ऐसा उनका मानना था। सतत् आत्म-निरीक्षण, अंतर्व्यथा और प्रायश्चित उनकी तपस्या के प्रमुख अंग थे।

धर्म की वास्तविक अभिव्यक्ति वे सदाचार में मानते थे। जो सदाचारी नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकता। ''धर्म कहते हैं जीवन के स्थान पर ईश्वर को स्वीकार करो'' और ईश्वर की स्वीकृति का अर्थ है–प्रेम, सत्य और विवेक को हृदय पर शासन करने देना तथा स्वार्थपरता, दुरिच्छा, अज्ञान और अविवेक तथा काम और क्रोध को दूर करना । धर्म का वास्तविक निचोड़ नैतिकता के पालन में है । धर्म और नैतिकता परस्पर अविच्छिन्न है। फिर भी बोए गए बीज के लिए जल जो महत्व रखता है, नैतिकता के लिए धर्म का वही महत्व है। किन्तु नैतिकता के विकास से भी धर्म की वृद्धि होती है। वे कहते हैं कि अपने भीतर मैं जितनी पवित्रता लाता हूं ईश्वर मुझे उतना ही समीप मालूम होता है।

सदाचार के समान ही गांधीजी प्रार्थना और नाम कीर्तन में अटल विश्वास रखते थे। उनका कथन था।

''प्रार्थना श्रवणों या शब्दों की कसरत नहीं है। यह अर्थहीन पात्रों का पारायण भी नहीं है। राम नाम का जाप जितना भी करो यदि उसमें आत्मा आन्दोलित नहीं होती, तो वह व्यर्थ है। प्रार्थना में निःशब्द हृदय का होना अच्छा है, किन्तु हृदयहीन शब्दों का होना खराब है। भूखा मनुष्य जैसे भोजन से जी भरकर आनंद लेता है, भूखी आत्मा, उसी प्रकार प्रार्थना से संतोष प्राप्त करती है।

महात्माजी का मूल उद्देश्य मानव स्वभाव को निर्मल बनाकर सुन्दर, सुखद, पवित्र विश्व का निर्माण करना था।

उन्होंने शरीर, मन और जिह्वा पर विजय प्राप्त कर विश्व के सामने महिमामय आदर्श उपस्थित किया। त्याग और तपस्या का उत्कर्ष उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है।

उनकी लेखन शैली उच्च कोटि की है। उनकी सादगी पूर्ण शैली में अद्भुत सौंदर्य है। छोटे-छोटे वाक्यों में असीम भाव-सौंदर्य भर देना उनकी विशेषता है। जैसे–

'गाय दया की एक कविता है।'

'घृणा सदैव घातक होती है।'

'प्रेम कभी नहीं मरता है।'

'संख्या बल आलसियों या कायरों का अंक है।'

'आत्मवीर अकेले लड़ने में आनंद पाता है।'

'विवाह वह बाड़ है जो धर्म की रक्षा करती है।'

'प्रेम बोलता नहीं, जो बोले वह प्रेम नहीं।'

इस प्रकार उनके द्वारा लिखी पुस्तकें, लेखों, नवजीवन, यंग इंडिया, और हरिजन पत्रिकाओं में उनकी विचार धारा कलमबद्ध है।

मार्च 1936 में उन्होंने कहा था–

''गांधीवाद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं और न मैं अपने पीछे सम्प्रदाय छोड़ जाना चाहता हूं। मेरा यह दावा भी नहीं है कि मैंने कोई नए तत्व या सिद्धांत का अविष्कार किया है। मैंने तो केवल जो शाश्वत सत्य है उसको अपने नित्य के जीवन और प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास किया है। मुझे दुनिया को कोई नई चीज नहीं सिखानी है। सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे हैं और मैंने समस्त तत्वज्ञान यहीं से सीखा। यही मेरे लिए दर्शन है। आप इसे गांधीवाद मत कहिए। इसमें कोई 'वाद' नाम की वस्तु नहीं है। वे हमेशा कहते थे ''मैं गुरु बनना नहीं चाहता बल्कि गुरु की खोज में हूं ।''

उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष थे। वे राजनेता थे, समाज सुधारक थे, अर्थ वेत्ता थे, शिक्षा शास्त्री थे और धर्मोपदेशक भी थे।

रामनाथ सुमन के शब्दों में,

''गांधीवाद सत्य की साधना का विज्ञान है, समस्त प्रवृत्तियां ब्रह्मा में उसके दृढ़-विश्वास से उद्भूत हुई है। यह ब्रह्मा सर्व द्रष्टा, सर्व शक्तिमान और सर्व व्यापक है जगत उसी के कारण और उसी को लेकर है।''

गांधी दर्शन मनुष्य के कल्याण के लिए सांसारिक उन्नति को गौण और आध्यात्मिक उन्नति को मुख्य

समझता है। गांधी दर्शन का यह प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सांसारिकता से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर गांधी विचारधारा समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संतुलित रूप तैयार करना चाहती है। गांधी दर्शन का सामाजिक और राजनीतिक आदर्श रामराज्य है। उन्होंने भक्तिमार्ग ओर कर्मयोग का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना का सत्याग्रही मार्ग संसार को दिखा दिया है।

वे गीता, रामचरितमानस, कबीरदास, तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद की धर्म-भावना से अत्यधिक प्रभावित थे।

महात्माजी आचरण के आचार्य हैं। उनका जीवन मानवीय प्रेम का सिन्धु है। आज के संदर्भ में उनके विचारों को परखना, समझना और जीवन मूल्यों को समझना बहुत आवश्यक है।

उन्होंने हिन्दी नव-जीवन में लिखा है :–

''जो सत्य को पहचानता है। मन, वचन और काया से सत्य का उच्चारण करता है, वह परमेश्वर को पहचानता है।'' आज हम इसी पहचान को भूलते जा रहे हैं–

''हम कौन थे, क्या हो गए हैं, और क्या होंगे अभी'' की चिन्ता अब हमें नहीं सताती। हमारे भीतर एक वर्ग उत्पन्न हो गया है जो सोचता है कि नियति बोध और जीवन दृष्टि फालतू की बातें हैं। जीवन दृष्टि के लिए श्रद्धा या विश्वास नहीं, कुर्सी की लड़ाई का एक पैंतरा मात्र है। वस्तुत: राजनीतिक अवसरवादिता की ऐसी भंगिमाओं द्वारा न तो जीवन दृष्टि की रचना हो सकती है और न समूह मन में कोई नियति बोध जगाया जा सकता है । इस प्रकार एक हताशपूर्ण स्थिति ही नजर आती है, परन्तु एक अजीब बात है कि निराशा के ऐसे क्षणों में हमें एक व्यक्ति का नाम ही याद आता है और वे हैं महात्मा गांधी। आज का भारत एक नैतिक और प्रशासनिक अराजकता की ओर तेजी से लुढ़कता जा रहा है। चारों ओर भयावह जातीय, भाषिक रक्तपात और स्वार्थपरक प्रवृत्तियों का बोलबाला है। नैतिकता का मानदण्ड बदल गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जेब भर रहा है। त्याग, कर्तव्य, प्रेम, उपासना तथा धर्म से भाग रहा है। ऐसी परिस्थिति से उभरने का स्थायी समाधान यदि किसी के पास है तो वह है गांधीजी!

कुबेरनाथ राय के शब्दों में :–

''महात्मा गांधी बड़े आशावादी थे। उनका विश्वास मनुष्य के भीतर निहित अच्छाई या मनुष्यत्व पर अडिग था। वे मानते थे कि मनुष्य में हृदय है। हृदय अर्थात् अंत:करण में दिव्यता का निवास है जो अपराजेय शक्ति है इसी को आत्मशक्ति भी कहा जाता है।''

अत: हमें अंतर्निहित मानवता को अर्थात् अच्छाई को सक्षम और पर्याप्त बनाना चाहिए तथा उसे सुनियोजित करना चाहिए। परन्तु मनुष्य स्वयं को भूल गया है। 'मृग की नाभि मांहि कस्तूरी, बन-बन फिरत उदासी' के कारण वह अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा है। समाज में पांच प्रतिशत से ज्यादा दुष्टता नहीं है, परन्तु यह पांच प्रतिशत दुष्ट, शेष पंचानवें प्रतिशत अच्छे लोगों पर दखल जमाए हुए हैं। इसी कारण वे भयग्रस्त हैं, भीरू हैं। इन्हें अभय देना चाहिए परन्तु यह अभय देगा कौन? अभय के स्रोत है संविधान, राजभक्ति और लोकशक्ति। इनमें भी लोकशक्ति एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, जो सहृदय और अंत:करणवाला होता है, जबकि जन साधारण के पास सहज पाशविक प्रवृत्तियां–जैसे क्षुधा, तृषा, काम, क्रोध होती हैं। ऐसे में गांधी चिन्तन की लोकशक्ति ही अच्छाई को कार्यक्षम बनाएगी, उसे अभय देगी। अहिंसा और अपरिग्रह इसकी प्रकृति तथा सत्याग्रह इसकी खुराक है और इससे पुष्ट लोकशक्ति अवदमन को जन्म नहीं देती। एक बार अभय बोध के आ जाने पर उनका अंत:करण जाग उठेगा और सुप्त मानवता अपने आप सक्षम और विकसित हो जाएगी। इस लोक शक्ति का पोषण होगा अपरिग्रह और त्याग द्वारा और उसका हथियार सत्याग्रह होगा। जिससे हताश तथा निराशमय मन में नवीन भावों का उदय होगा। मानवता विकसित होकर कल्याणकारी तथा मंगलमय होगी जिससे जीवन आनंदमय और प्रकाशित होगा। आधुनिक भोगवादी विकासी संस्कृति का पतन होगा और एक दिन गांधी का सर्वोदय सफल हो जाएगा।

इसीलिए आज भी नए कल की तलाश के लिए गांधी विचारधारा प्रासंगिक है, आवश्यक है।

गांधीवादी विचारधारा की सुगंध से भारतीय जन-जीवन सुवासित है। यह चिन्तनधारा अपराजेय है। अनेक साहित्यकारों ने इससे अनुप्राणित होकर शाश्वत साहित्य का सृजन किया। क्योंकि गांधी दर्शन में सामाजिक चेतना का प्राधान्य है।

डॉ. नगेन्द्र के शब्दों में :-

''20वीं शती के पूर्वार्द्ध में सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य की यह धारा अनन्त कल्लोलों के साथ प्रवाहित होती रही। तमिल के भारती, मलयालम के वल्लतोल, गुजराती के उमाशंकर जोशी, मराठी के केशवसुत तथा गोविन्दाग्रज, हिन्दी के मैथिली शरण गुप्त, पंत, दिनकर, नवीन, बच्चन आदि, उर्दू के चकबस्त, पंजाबी के गुरु मुखसिंह 'मुसाफिर' हीरा सिंह 'दर्द' आदि ने अपने काव्यों में विभिन्न भंगिमाओं के साथ इन स्वरों को मुखरित किया। कर्म के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया था उसका लाभ इन सभी कवियों नें ग्रहण किया।''

मानवता की विराटता में विश्वास रखने वाले हिन्दी के यशस्वी साहित्यकारों ने अखण्ड-विश्वास के साथ विराट-मनुष्य के व्यक्तित्व और उसकी जग-यात्रा को साहित्य में आलोकित करने का सफल प्रयास किया है। उनके साहित्य का आलेखन एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कर्मठ जीवन के कलाकार के रूप में हुआ है। अपनी कर्मठता के कारण ही वे साहित्यकारों के लिए प्रेरणा बन सके। युग-सारथी, युग पुरुष, विराट तीर्थ, मुक्ति दूत, विश्वात्मा, महात्मा मानकर उनका प्रशस्ति गान नहीं किया गया, बल्कि मानव विकास के क्रम में उनका मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

गांधीजी समाज विकास में नारी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी मान्यता है कि प्रेम, अहिंसा और बलिदान के क्षेत्र में नारी पुरुष से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने नारी समाज की स्वतंत्रता के लिए राजनीति में उनकी भागीदारी पर बल दिया। गांधी जी की नारी संबंधी धारणा में विश्वास प्रकट करते हुए प्रमुख विचारक और लेखक डॉ. लक्ष्मण सिंह ने कहा है-''वास्तव में गांधी नारी-जाति के उत्थान के प्रबल प्रवक्ता थे। उनका मत था कि जब तक राष्ट्र की जननी स्वरूप हमारी स्त्रियां ज्ञानवान नहीं होंगी उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और जब तक उनसे संबंधित कानूनों, रीति-रिवाजों तथा पुरानी रूढ़ियों में अनुकूल परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा।''

वे शांति, शालीनता, तपस्या, अहिंसा आदि नारी जाति के गुण जानते हैं। नारी के शक्तिस्वरूपा रूप की उपासना करना समाज का धर्म वे मानते हैं।

इस प्रकार गांधीजी केवल राजनीतिक विचारक ही नहीं बल्कि समाज-सुधारक, धार्मिक और भक्ति में तन्मय व्यक्ति के रूप में भी जाने जाते हैं।

मानव उद्धार उनके जीवन का परम ध्येय है।

आज भी हम उनके पवित्र-विचारों से प्रेरणा लेकर जीवन गत संघर्ष से मुकाबला करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। आचरण और विचार के प्रबल समर्थक गांधीजी हर क्षण हमारे इर्द-गिर्द हैं। केवल हमें यह ध्यान रहे कि गांधीजी के जीवन दर्शन से हम आत्ममंथन कर जिन्दगी के रास्ते का निर्माण करें जिससे कि हमारे रास्तों को कोई झूठ करार न दे। यही विश्वास हमें गांधीजी के नजदीक पहुंचा सकता है और हम मानव बन मानवता के लिए कर्तव्यशील कार्य करें और सहयोग की भावना से समझौतावादी जीवन यापन करें। हिन्दी साहित्य इनके महान व्यक्तित्व से प्रभावित रहा है।

अंत में नरेश मेहता की पक्तियों का जिक्र करना चाहूंगा :-

''घृणा नहीं, विद्वेष नहीं
केवल निर्भयता मन में
महाशक्ति जागा करती, जब
जन हों अनुशासन में।''

— प्रपाठक और अध्यक्ष हिन्दी विभाग
क.वा.वि. महाविद्यालय, नवापुर
जि. नंदुरबार (महाराष्ट्र)
सम्पर्क : मो. 9226972340

3531 SRTH/08—3A

सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरण प्रबंध

अवधेश कुमार सिंह भदौरिया

प्रस्तुत निबंध में पर्यावरण पर प्रदूषण के कुप्रभावों को दर्शाते हुए पर्यावरण प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पर्यावरण प्रबंधन हेतु विभिन्न अधिनियमों को उल्लेखित करते हुए माननीय न्यायालयों में विभिन्न परियोजनाओं से सम्बन्धित योजित याचिकाओं एवं उन पर माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को उद्धृत किया गया है । सड़क परियोजनाओं में आवश्यक पर्यावरण प्रबंधन हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा-निर्देशों एवं विश्व बैंक की पर्यावरण नीतियों का वर्णन किया गया है। सड़क परियोजना बनाते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंध योजना हेतु ये दिशा-निर्देश एवं नीतियां बहुत उपयोगी हैं।

पर्यावरण प्रबंध की मांग : सभ्यता के अभ्युदय काल से ही मानव प्रकृति सम्बन्ध असहज रहे हैं। प्रारम्भिक काल में मानव और प्रकृति के बीच थोड़ा बहुत सामंजस्य रहा। परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ प्रकृति और पर्यावरण का दोहन बढ़ा । इसी निरन्तरता में दोहन कब घातक बन गया हम समझ भी नहीं पाए। जब स्थिति की भयावहता और बढ़ी और इसके कुप्रभाव एवं दुष्परिणाम मानव जीवन को कुप्रभावित करने लगे तो प्रर्यावरण प्रदूषण को कम करने और संतुलित पर्यावरण की मांग बढ़ी।

भारत में पर्यावरण संबंधी नियम एवं अधिनियम : आज हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित 7 बृहत केन्द्रीय अधिनियम हैं। इन अधिनियमों के अलावा, बहुत सारे नियम तथा अधिसूचनाएं एवं राजाज्ञाएं निर्गत की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 में स्टॉक-होम में आयोजित अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1984 इन सभी में प्रमुख है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1984 : इस अधिनियम द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी कदम उठाने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत किया गया है। राज्यों और अधिकरणों के बीच सामन्जस्य पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण, प्रदूषण के मानकों का निर्धारण आदि वे बिन्दु हैं जिन पर केन्द्र सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को नियंत्रित कर सकती है । सरकार दुर्घटनाएं एवं जोखिम को कम करने के लिए विधि-निर्धारण कर सकती है। सरकार उत्पादन विधि एवं निर्माण सामग्री का परीक्षण कर सकती है। सरकार किसी भी परिसर, यंत्र-संयत्र तथा वस्तुओं का निरीक्षण कर सकती है। सरकार प्राधिकरणों का गठन करा सकती है। सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करा सकते हैं, विद्युत और जलापूर्ति या अन्य सेवाओं को बंद करा सकते हैं। वर्ष 1986 में इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम बनाए एवं अधिसूचित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषक पर्यावरण में उत्सर्जित या विसर्जित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति घातक सामान की हेंडलिंग सुरक्षा प्रक्रिया के बिना नहीं करेगा।

सरकार प्रर्यावरण प्रयोगशालाएं बना सकती है तथा जल, वायु एवं मिट्टी के परीक्षण हेतु परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है। जो इस अधिनियम का उल्लंघन करेंगे उन्हें 5 वर्ष तक की कैद और रुपए 1,00,000 तक की धनराशि के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है अगर इसका उल्लंघन फिर भी चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम का उल्लंघन करती है तो केवल

3531 SRTH/08—3B

खारिज कर कोंकण रेलवे परियोजना को हरी झंडी दे दी गयी।

मोटर वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण–एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार-दिल्ली में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस याचिका में भारी वाहनों तथा राज्य संचालित बस सेवा से होने वाले प्रदूषण का विवरण देते हुए वायु प्रदूषण कम कराने हेतु अनुरोध किया गया। पर्यावरण मंत्रालय ने माननीय न्यायालय में स्वीकारा कि वाहनों से प्रदूषण बढ़ा है। सरकार ने उत्तर दिया कि कई वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है तथा कई वाहनों के पंजीकरण रद्द किए गए हैं। माननीय न्यायालय ने सरकार को प्रदूषण सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तथा उन वाहनों की सूची भी मांगी गई जिनके पंजीकरण रद्द किए गए थे। इसके साथ-साथ माननीय न्यायालय ने कम लागत की नई तकनीकों जिनसे प्रदूषण कम हो, की साध्यता अध्ययन हेतु समिति गठित की। कुछ सुझावों का प्रयोगशाला परीक्षण आवश्यक था, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपा गया। समिति प्रत्येक 2 माह में माननीय न्यायालय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती थी। इन प्रतिवेदनों पर बहस होती थी। परन्तु दिल्ली में वाहनों की संख्या बढ़ती गई। कोलकाता, मुम्बई और चेन्नै के वाहनों की कुल संख्या से भी दिल्ली में अधिक वाहन हैं।

बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पेट्रोल और डीजल चालित बसों और ऑटो रिक्शाओं को बंद करा दिया गया। मात्र सी.एन.जी. चालित वाहन ही दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति पा सके फलत: प्रदूषण कम हो गया और आज दिल्ली स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त है।

स्टोन क्रैशर्स का बंद किया जाना– दिल्ली तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में स्टोन क्रैशर्स से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण इन्हें बंद कराने हेतु अधिवक्ता श्री एम. सी. मेहता द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्हें बंद करने के आदेश दिए, परन्तु क्रैशर्स के ऑपरेटर्स दिल्ली उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश ले आए। याचिकाकर्ता श्री मेहता ने पुन: उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी याचिकाएँ उच्चतम न्यायालय में मंगा ली। याचिकाओं पर निर्णय देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम जानते हैं कि औद्योगिक विकास के लिए पर्यावरणीय परिवर्तन आवश्यक है, परन्तु पर्यावरण को इस सीमा तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती कि वायु, जल व थल के प्रदूषण के कारण मानव जीवन ही दूभर हो जाए। हमें कहना पड़ रहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम तथा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रित करने के अपने विधायी दायित्व पालन में असफल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली को सबसे गंदा, सबसे ज्यादा प्रदूषित तथा अस्वस्थ शहर बताया है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सभी नागरिकों को ताजी हवा तथा स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। अत: क्रैशर्स बंद किए जाएं। बाद में हरियाणा के नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग ने अन्य स्थल पर ''क्रैशिंग-जोन'' प्रस्तावित किया, जिसे माननीय न्यायालय ने मान लिया तथा विस्थापित हुए क्रैशर्स ऑपरेटर्स को इस जोन में इकाइयाँ आबंटित की गईं।

पर्वत बचाने के लिए खदान बंद किया जाना–माननीय उच्चतम न्यायालय में मंसूरी पहाड़ों को बचाने हेतु याचिका दाखिल की गई। इस प्रकरण में आदेश के अलावा 1985 से 1991 के मध्य 10 अन्य आदेश पारित किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने खदानों को हिमालयीन क्षेत्र तथा मसूरी पर्वत शृंखला को खतरा बताते हुए बंद कराने का अनुरोध किया। माननीय न्यायालय ने पहले एक समिति गठित की जिसने खदानों को 3 श्रेणियों में बांटा। प्रथम, जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी, दूसरी, जो शहरी सीमा में थी तथा तीसरी, जो शहर के बाहर थी, कम खतरनाक थी। माननीय न्यालय ने तीसरी श्रेणी की खदानों को छोड़कर शेष को बंद करने तथा विस्थापितों को अन्यत्र स्थल आबंटन करने का आदेश दिया।

पेड़ काटने तथा सड़क बनाने पर रोक– एन.एल. सूद बनाम भारत सरकार के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली स्थित 4 एकड़ क्षेत्र में फैले जहांपनाह भवन में सड़क बनाने हेतु पेड़ काटने तथा सड़क बनाने पर रोक लगा दी। माननीय न्यायालय मात्र 20 मी. चौड़ी सड़क बनाने तथा इस पर 12 वर्ष तक के बच्चों के आवगमन हेतु साइकिल चालन की अनुमति दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के वन संरक्षक को भी प्रत्येक 3 माह में निरीक्षण करने हेतु आदेश दिया ।

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशा निर्देश–केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रेल, सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं हेतु पर्यावरण सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश-निर्गत किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किसी भी नई रेल, सड़क एवं राजमार्ग परियोजना बनाते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव कथन तथा पर्यावरणीय प्रबंध योजना सम्मिलित हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 9 में किसी भी परियोजना के साथ पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरणी प्रभाव कथन तथा पर्यावरणीय प्रबंध योजना हेतु एक व्यापक प्रश्नावली दी गई है जिसमें सभी पर्यावरण बिन्दुओं का समावेश है।

मार्ग परियोजनाओं हेतु भरतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देश–भारतीय सड़क कांग्रेस ने अपने प्रकाशन संख्या आई.आर.सी. 104:1988 में अभियन्ताओं के मार्ग दर्शन के लिए सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं, मार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। ये निर्देश प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए नहीं हैं। इस प्रकाशन के अनुच्छेद 5 में पर्यावरणीय प्रभाव ऑकलन हेतु प्ररूप दिया गया है। इस प्ररूप में वर्तमान स्थिति, परियोजना की आवश्यकता तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के ब्योरे अंकित किए जाने हैं। वर्तमान स्थिति

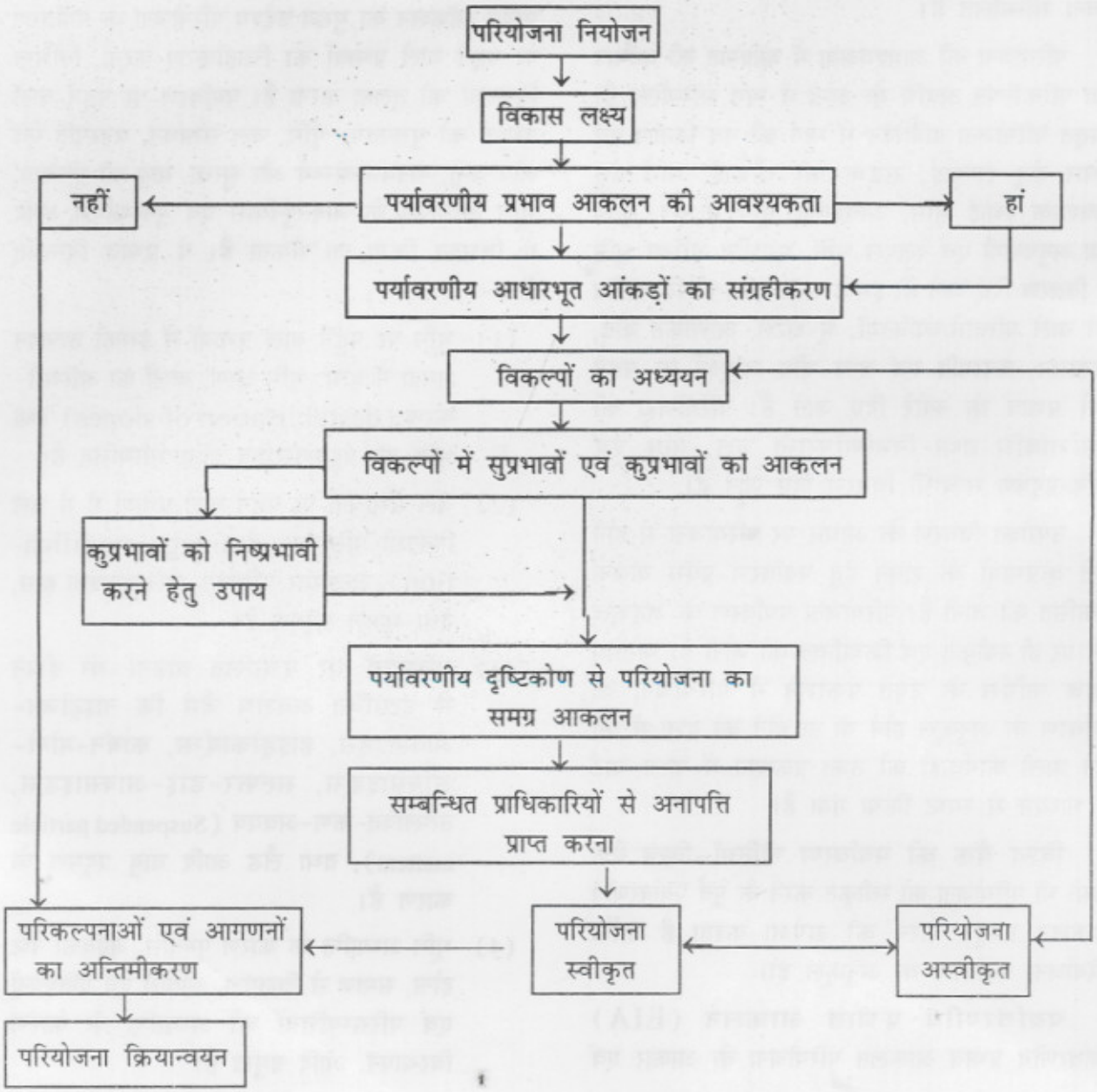

3531 SRTH/08—4A

के अन्तर्गत वर्तमान सड़क प्रणाली सड़क की चौड़ाई, मार्ग की स्थाई भूमि एवं दशा, स्थल की भौगोलिक स्थिति, यातायात का घनत्व एवं प्रकार, रेलवे समपारों की संख्या एवं इन पर होने वाले विलंब की सूचना तथा मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं की सूचना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, भू उपयोग, भू प्रकार, मार्ग पर पड़ने वाले गांव, कसबा एवं शहरों की संख्या नाम तथा आबादी की सूचना भी सम्मिलित है। पर्यावरणीय सूचनाओं में औसत वर्षा, हिमपात, न्यूनतम व अधिकतम तापमान, वनस्पति, रिबन डेवलपमेन्ट, अतिक्रमण, सड़क के किनारे की सुविधाएं जल, वायु व ध्वनि-प्रदूषण तथा वन्य जीव जन्तु से सम्बन्धित सूचना सम्मिलित हैं।

परियोजना की आवश्यकता में यातायात की वर्तमान तथा परिकल्पित अवधि के अन्त में मांग सम्मिलित है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में मार्ग की नव निर्माण एवं सुधार हेतु लम्बाई, सड़क की चौड़ाई, मार्ग हेतु आवश्यक स्थाई भूमि, आवश्यक भूमि में वन, कृषि तथा अनुपयोगी एवं दलदल भूमि, भूगर्भीय अस्थिर भूमि के विवरण दिए जाने हैं। इसके साथ-साथ ही विस्थापित होने वाले परिवारों/व्यक्तियों, भू-क्षरण, आशंकित बाढ़, भूस्खलन, वनस्पति एवं वन्य जीव जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के ब्योरे दिए जाने हैं। परियोजना की निर्माणावधि तथा निर्माणोपरान्त जल, वायु एवं ध्वनि-प्रदूषण सम्बन्धी विवरण दिए जाने हैं।

उपरोक्त विवरण के आधार पर परियोजना से होने वाले कुप्रभावों के शमन हेतु पर्यावरण प्रबंध योजना विकसित की जानी है। परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होने पर ही स्वीकृत एवं क्रियान्वित की जानी है। भारतीय सड़क काँग्रेस के उक्त प्रकाशन में परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल होने या ना होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही को उक्त प्रकाशन में फलो चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

विश्व बैंक की पर्यावरण नीतियाँ–विश्व बैंक किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने के पूर्व पर्यावरणीय आकलन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है ताकि परियोजना पर्यावरण के अनुकूल हो।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परियोजना के आकार एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की प्रकृति पर निर्भर करता है। पर्यावरणीय आकलनों में पर्यावरण पर होने वाले कु-प्रभावों, इनके प्रभाव क्षेत्रफल तथा परियोजना के विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ के चयन पर विचार किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने की विधि है। इसके द्वारा पर्यावरणीय पहलु से वैकल्पिक स्थलों की आन्तरिक तुलना की जाती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन विधि पर्यावरण पर पड़ने वाले सुप्रभावों एवं कुप्रभावों का आकलन करता है।

आज पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं का अभिन्न अंग बन गया है पर्यावरणीय प्रभाव ऑकलन का मुख्य उद्देश्य परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का चिन्हीकरण करना, विभिन्न विकल्पों की तुलना करना है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को मुख्यतय: भूमि, जल संसाधन, वनस्पति एवं जीव जन्तु, मानव-स्वास्थ्य और सुरक्षा, वायु की गुणवत्ता, भूमि अध्याप्ति के बाद पुर्नवास एवं पुनर्स्थापना आदि में विभक्त किया जा सकता है। ये प्रभाव निम्नवत् हैं :–

(1) भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों में इसकी उत्पादन क्षमता में ह्रास, भूमि क्षरण, ढालों का अस्थिरीकरण (destablisation of slopes) तथा भूमि का प्रदूषण/दूषित होना सम्मिलित है।

(2) जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों में से जल निकासी परिर्वतन (drainage-modification), जल स्तर परिर्वतन, जल गुणवत्ता ह्रास, तथा भूजल प्रदूषण है।

(3) राजमार्गों पर प्रचालित वाहनों के ईंधन से उत्सर्जित अवशेष जैसे कि नाइट्रोजन-आक्साइड्स, हाइड्रोकार्ब्न्स, कार्बन-मोनो-आक्साइड्स, सल्फर-डाइ-आक्साइड्स, उत्प्लवित-कण-अवयव (Suspended particle matters), तथा लैड आदि वायु प्रदूषण के कारण हैं।

(4) भूमि अध्याप्ति के कारण पुनर्वास, जीविका नष्ट होना, समाज से विलगता, आवास एवं प्रतिष्ठानों एवं परिसम्पत्तियों की अध्याप्ति के कारण विस्थापन, आदि प्रमुख है।

(5) यातायात से ध्वनि प्रदूषण।

(6) स्थानीय जनता के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, संक्रमणीय बीमारियों का संवहन आदि।

पर्यावरण प्रभाव कथन (EIS) :– पर्यावरण प्रभाव कथन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सार्थक उत्पाद है। इसका मुख्य कार्य परियोजना नियोजकों हेतु पर्यावरणीय पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। ये किसी परियोजना विशेष पर पड़ने वाले कुप्रभावों की जानकारी तथा इनके शमन की व्यवस्था का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। इसमें उन सार्थक शमन उपायों को चुना जाता है, जो कि व्यय क्षमता साध्य तथा लागत दक्ष हो। इनके महत्व के आधार पर इनकी आन्तरिक प्राथमिकताओं का निश्चयन किया जाता है।

प्राथमिक तौर पर ही पर्यावरणीय पहलुओं के महत्व को देखते हुए मार्ग के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर संरेखण परिवर्तन किया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए शोर-अवरोधक तथा मार्ग के किनारे पेड़ों, झाड़ियों तथा घास को लगाया जा सकता है। निर्माण उपकरणों में ध्वनि नियंत्रकों का प्रयोग कर प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है।

पर्यावरणीय प्रबंध योजना (EMP) :– पर्यावरण प्रबंध योजना, परियोजना के निर्माण से होने वाले कुप्रभावों के शमन की क्रियान्वयन योजना है। इसके अर्न्तगत जोखिम का आकलन, परियोजना प्रभाव क्षेत्रफल का आकलन एवं स्थानीय व क्षेत्रीय पर्यावरण एवं इस पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है। आकलनोपरान्त होने वाले विभिन्न कुप्रभावों से निपटने के लिए किए जाने वाले सार्थक प्रयासों का वर्णन अनुश्रवण तथा क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है।

निर्माणावधि में एवं निर्माणोपरान्त इन प्रयासों का क्रियान्वयन किया जाता है। इन प्रयासों का सही रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं या क्रियान्वयन के फलस्वरूप अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं इस हेतु अनुश्रवण किया जाता है। पर्यावरण प्रबंध योजना में किए जाने वाले सार्थक प्रयास निम्नवत हैं –

निर्माण शिविरों का प्रबंधन–निर्माण शिविर निकटस्थ बस्ती से कम से कम 1 कि.मी. तथा निकटस्थ जल स्रोत से कम से कम 500 मी. दूर होना चाहिए। शिविर का ले आउट प्लान अनुमोदित होना चाहिए। शिविर में आवास सुविधा, जलापूर्ति, स्वच्छता, शौचालय, कचरा एकत्रण व जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए।

प्लांट स्थल का प्रबंधन–अग्नि शमन, विद्युत सुरक्षा, ज्वलनशील पदार्थों एवं रसायनों के भण्डारण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए तथा वाहनों के आवागमन हेतु खुला रास्ता उपलब्ध रहना चाहिए। प्लान्ट व प्लान्ट स्थल का ले आउट भी निकटस्थ बस्ती से कम से कम 1 कि.मी. दूर तथा अनुमोदित होना चाहिए तथा प्रदूषण नियंत्रण अग्नि शमन हेतु व्यवस्थित होना चाहिए। प्लान्ट साइट के चारों ओर घेरा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बाड़ होनी चाहिए।

श्रमिक शिविरों का प्रबंधन–निवास हेतु आधारभूत मानकों के अनुसार आवास, शौचालय एवं धुलाई, जल-मल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए।

ऊपरी सतह की भूमि का संरक्षण–भूमि की ऊपरी 150 मि.मी. सतह उर्वरा एवं उपजाऊ होती है। अतः इसे एक स्थान पर एकत्रित कर मीडियन अथवा ढालों पर घास लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाना चाहिए अथवा भरे हुए क्षेत्र के ऊपर बिछाया जाना चाहिए ताकि भू-उर्वरा शक्ति का सदुपयोग हो सके।

खुदाई क्षेत्रों का प्रबंधन–खुदाई क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि स्थानीय लोग संतुष्ट हों तथा इस भूमि का कृषि या गांव के तालाब के रूप में उपयोग हो सके।

खदानों से मिट्टी आदि प्राप्त करने हेतु कार्य–ठेकेदार स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमोदित खदानों से ही निर्माण सामग्री प्राप्त करें। निर्माण सामग्री प्राप्त करने हेतु ब्लास्टिंग करने से पूर्व स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण कर लिया जाए तथा ब्लास्टिंग क्षेत्र में लाल झंडियां, गार्डस आदि लगाएं जाएं तथा साइरन बजाया जाए। स्थानीय समुदायों तथा ग्रामीणों को इसकी सूचना दी जाए।

भूमि संसाधन का संरक्षण–उपजाऊ भूमि का खनन नहीं किया जाना चाहिए। भूक्षरण रोकने हेतु जल निकास प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए। ढालों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। तटबधों की

कटाव रोकने हेतु ढालों पर घास/झाड़ियां लगाई जानी चाहिए।

भू संरक्षण तथा जल प्रदूषण की रोकथाम–यंत्र संयत्र, वाहन तथा उपकरणों की मरम्मत के स्थल अलग से तथा चिह्नित होने चाहिए। निकटस्थ जल स्रोत से कम से कम 500 मी. की दूरी होनी चाहिए। रसायन तथा मिश्रण के भण्डारण तथा रखरखाव में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण–वाहनों, यंत्रों तथा संयंत्रों से ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन कराया जाना चाहिए। निर्माण यंत्र संयंत्र में 90 डेसी-बेल के मानक का पालन होना चाहिए। रिहायशी इलाके से 250 मी. की दूरी तक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य शोर नहीं होना चाहिए। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

कंकड़ पत्थरों तथा अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन–परिवर्तित मार्ग की अतिरिक्त चौड़ाई अथवा समानान्तर मार्गों के निर्माण में कंकड पत्थरों का प्रयोग कर लेना चाहिए। रसोई घर तथा गैस के अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट के गड्ढे में डाला जाना चाहिए। खतरनाक कचड़े का अलग भण्डारण किया जाना चाहिए तथा स्थानीय दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका निपटान किया जाना चाहिए।

सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा–निर्माणावधि में ठेकेदार के द्वारा मार्ग संकेतक, शंकु मार्ग विभाजक तथा डेलीनेटर्स लगाया जाना चाहिए। रात्रिकालीन सुरक्षा के अन्तर्गत कार्य क्षेत्र, परिवर्तन क्षेत्रों को चिह्नित किया जाना चाहिए।

कार्योपरान्त कार्य स्थलों का पुनर्स्थापन– सभी खुदाई क्षेत्रों को इस प्रकार से विकसित करना कि इनका कृषि क्षेत्र अथवा ग्रामीण तालाब के रूप में उपयोग हो सके। निर्माण शिविर तथा श्रमिक शिविरों को इस प्रकार पुनर्स्थापित किया जाए कि इनका कृषि अथवा व्यवसायिक उपयोग हो सके।

पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा मार्ग निर्माण परियोजना, पर्यावरण के सानुकूल बनाई जा सकती है, तथा परियोजना से होने वाले कुप्रभावों का शमन किया जा सकता है। इसीलिए आज पर्यावरणीय प्रभाव आकलन बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं का अभिन्न अंग बन गया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं हेतु पर्यावरण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश, भारतीय सड़क कांग्रेस के आई.आर.सी. 104:1988 में अभियन्ताओं के मार्ग दर्शन के लिए सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश, तथा विश्व बैंक की नीतियां अत्यंत उपयोगी हैं।

–एच. आई. जी.–93,
शास्त्री पुरम, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश-273015

राजपथ सा

मधुर गंजमुरादाबादी

तुम्हारे पत्र का हर शब्द
जैसे बोलता है।
सुबह हो या शाम, दुपहर
हर समय हैं
यहां पर बस फाइलें एकत्र,
व्यस्तता के सघन वन को चीरता
राजपथ सा–
आज आया यह तुम्हारा पत्र।
विगत सुधियों के सुनहरे
पृष्ठ मनहर खोलता है।
लग रहा है खुली खिड़की से
अभी तुम झांक कर
फिर छिप गयीं चुपचाप,
मृदु अंगुलियों की छुअन से
अभी तक पर्दे रहे हैं कांप।
और उनके साथ ही
मेरा हृदय भी डोलता है।

–गंजमुरादाबाद,
उन्नाव (उ. प्र.)-241502

3531 SRTH/08—5A

द्विभाषिकता–राजभाषाई परिवर्तन के बीच की कड़ी

रघुनाथ सहाय

राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कामकाज में द्विभाषिक स्थिति का दौर चल रहा है। सन् 1967 में यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत (1) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, जिसमें अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, (2) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए; तथा (3) निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्ररूपों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किए जाने की अनिवार्यता बनी हुई है।

इस व्यवस्था के तहत तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में उक्त निर्धारित दस्तावेजों आदि के अलावा, पत्रों, लेखन सामग्री, प्रकाशनों आदि को भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करने की अपेक्षा का विधान है ऐसी ही स्थिति राज्यों के कामकाज में भी बनी हुई है।

26 जनवरी, 1950 को जब से संविधान लागू हुआ और हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब से आज तक इन छह दशकों के दौरान हिन्दी अभी अपने गौरव पद को प्राप्त नहीं कर सकी है। इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। यद्यपि हिन्दी के प्रति उपेक्षाभाव या विरोधी मानसिकता को सबसे मुख्य कारक माना जाता है, तथापि, द्विभाषिक नीति को भी कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस मत के समर्थकों के अनुसार, द्विभाषिक स्थिति में अंग्रेजी जो गौण भाषा होनी चाहिए, प्रधान भाषा बन गई है और इसके विपरीत, हिन्दी जिसे प्रधान भाषा होना चाहिए था, गौण होकर रह गई है। हिन्दी वस्तुत: अनुवाद की भाषा बन कर रह गई है। इस द्विभाषिक स्थिति के कारण न केवल सरकारी काम में विलम्ब होता है बल्कि यह अधिक खर्चीली प्रक्रिया भी है, परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है और जनता तक सीधे पहुंचने का अपेक्षित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। यह धारणा व्यापकतर होती जा रही है कि इस व्यवस्था के कारण चिरकाल तक हिन्दी तथा अन्य राजभाषाओं को यथोचित सम्मान मिलने की संभावना दृष्टिगोचर नहीं होती।

दूसरी ओर यह मत भी है कि द्विभाषिकता के कारण ऐसी कोई दिक्कत दृष्टिगत नहीं होती जिससे हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार-प्रसार में यह नीति बाधा स्वरूप हो। इस मत के समर्थकों का दृढतापूर्वक यह मानना है कि देश की तत्कालीन और वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के सामने देश के सर्वोत्तम हित में यही उपयुक्ततम नीति है क्योंकि इसके सहारे जनता के सभी वर्गों, भाषा-भाषियों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है।

राजभाषा अधिनियम में प्रतिपादित नीति से यह आशा की जा रही थी कि समय बीतने के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ेगा और अत्यंत आवश्यक तथा अनिवार्य होने पर ही अंग्रेजी में मूल प्रारूपण या टिप्पण आदि किया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए उत्तरदायी कारकों में राजनैतिक विवशताओं के अलावा, प्रशासक वर्ग का हिन्दी के माध्यम से चिन्तन और अपने विचारों को व्यक्त करने की अभ्यासहीनता तथा अक्षमता है।

संविधान लागू होने के समय, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी का समुचित ज्ञान नहीं था इसलिए यह अपेक्षा

3531 SRTH/08—5B

नहीं की जा सकती थी कि वे अविलम्ब अपना कामकाज हिन्दी में करना शुरु कर देंगे। यह आशंका थी कि राजकाज में तत्काल प्रभाव से हिन्दी की अनिवार्यता कर दिए जाने से वे लोग हिन्दी में काम नहीं कर पाएंगे, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है और ऐसे लोग नौकरियों से भी वंचित रह जाएंगे। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाते समय यह परिकल्पना भी की गई थी कि संविधान लागू होने से 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा और तब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकेगा। अतः सिद्धान्ततः बीच के रास्ते के रूप में द्विभाषिकता का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया गया जो अपने आप में साध्य नहीं है। उम्मीद तथा उद्देश्य यह था कि जो लोग तब केवल अंग्रेजी जानते थे अर्थात् हिन्दी नहीं जानते थे, वे धीरे-धीरे सेवाकाल में ही सरकारी खर्च पर सरकारी सहायता और कार्यालयी समय में ही हिन्दी सीख लेंगे और अपना कामकाज हिन्दी में करना शुरू कर देंगे। इसके विपरीत जो लोग हिन्दी जानते थे, उनसे यह अपेक्षा थी कि वे प्रारम्भ से ही अपना काम हिन्दी में करेंगे। यदि व्यवहार में ऐसा ही होता, तो आज स्थिति भिन्न होती। अधिकाधिक सरकारी कार्य हिन्दी में हो रहा होता। पूर्व निदेशक श्री राजकृष्ण बंसल का मानना था कि द्विभाषिकता के सम्बन्ध में आज तक किए गए विभिन्न उपबन्ध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी के पक्ष में बैठते ही प्रतीत होते हैं और उस हद तक संविधान के उपबन्धों को सीमित करते दिखाई देते हैं।

वस्तुतः बहु या दो भाषा व्यवहार की नीति परिस्थिति और आवश्यकता पर आधारित है। डॉ. गोपाल शर्मा पूर्व निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा का इसके समर्थन में कहना है कि यह (बहुभाषा व्यवहार) विभिन्न मात्रा और रूपों में पहले भी प्रचलित था और आज भी है। स्थानीय परिस्थितियों के उदाहरण किसी राज्य या तालुक की कचहरी में पाए जाने वाले भाषा व्यवहार हैं। राष्ट्र की बहुभाषिक विस्तृत क्षेत्रीय सम्प्रेषण की आवश्यकताओं में द्विभाषिकता में हिन्दी को विशेष स्थान दिलाया है। आज की स्थिति में 'द्विभाषिकता' से प्रादेशिक भाषा (राज्य भाषा) अंग्रेजी और हिन्दी अभिप्रेत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो त्रिभाषा सूत्र की व्यवस्था है, वही प्रादेशिक शासन और संघीय केन्द्र के लिए अपरिहार्य प्रतीत होती हैं।

श्री ब्रज किशोर शर्मा, पूर्व अपर सचिव, विधायी विभाग के अनुसार अब द्विभाषिकता की पद्धति अपने सन्दर्भ से हट चुकी है। अब इसका अर्थ रह गया है कि जहां राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी में पत्र भेजना अनिवार्य है वहां अंग्रेजी में उसका प्रारूप तैयार करके हिन्दी में अनुवाद करवाकर भेज दिया जाए। विडम्बनीय स्थिति तब आती है जब हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी मातृभाषी कर्मचारी भी, जो अपने राज्य में रहते हुए हिन्दी में काम करते थे केन्द्र में आते ही अंग्रेजी में काम करने लगते हैं। यही नहीं वे टिप्पणियों या पत्रों का मसौदा भी अंग्रेजी में ही तैयार करते हैं और फिर उसके अनुवाद की व्यवस्था करवाते हैं। द्विभाषिकता की नीति इसका कभी समर्थन नहीं करती। श्री राजकृष्ण बंसल के शब्दों में सरकारी तंत्र में उपलब्ध पूरी व्यवस्था में इस समय सर्वाधिक बल इस बात पर दिया जाता है कि जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है वहां अनुवाद की व्यवस्था कर दी जाए। इससे हिन्दी पदों के सृजन में मदद अवश्य मिली किन्तु राजकाज, प्रशासन और दूसरे नए क्षेत्रों में हिन्दी के प्रवेश और प्रयोग-वृद्धि में सफलता मिल सकेगी, यह बहुत संदिग्ध है।

द्विभाषिक नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिन उद्देश्यों तथा प्रत्याशाओं के साथ इसे प्रवर्तित किया गया था, उन्हें पूरा करने का सभी स्तरों पर मन बना लिया जाए और, साथ ही तद्नुरूपी प्रयास किए जाएं। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना मुहैय्या करके चूककर्ताओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया जाए। न्यूनताओं की पहचान करके उनकी पूर्ति की जाए और सरकार द्वारा प्रेरणा व प्रोत्साहन की नीति के अनुरूप वे सभी कदम उठाए जाएं, जो अपेक्षित हों। इस सन्दर्भ में निम्नानुसार कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं :-

1. सर्वप्रथम हिन्दी में काम करने की मानसिकता विकसित की जाए। यह कार्य शासन की ओर

से दृढ़संकल्प की अभिव्यक्ति के माध्यम से सम्भव हो सकता है।

2. हिन्दी भाषा का अखिल भारतीय स्वरूप विकसित किया जाए। अक्सर महसूस किया जाता है कि वर्तमान में विविध आधुनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी का स्वरूप हिन्दी भाषियों के लिए भी अपरिचित सा बनता जा रहा है।

3. कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी आशुलिपिक तथा हिन्दी टंकक उपलब्ध नहीं होते, जिस कारण कार्य निपटान में विलम्ब होता है और कर्मचारी हिन्दी में काम करने हेतु हतोत्साहित होते हैं। इसे राष्ट्रीय अभियान के तौर पर किया जाना चाहिए।

4. विविध प्रशासनिक साहित्य हिन्दी/भारतीय भाषाओं में प्रचुरता से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. बैठकों, संगोष्ठियों, प्रेस सम्मेलनों में सद्यः अनुवाद की सशक्त व्यवस्था का अभाव है, जिसकी अविलम्ब पूर्ति की जानी चाहिए।

6. हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं की विस्तृत पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार की गई हैं, परन्तु कार्यालयों में उनकी उपलब्धता और प्रयोग नगण्य है। इस ओर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

7. केन्द्र और राज्यों में, कार्यक्रम, सोपान निर्धारण, विविध प्रशिक्षण, प्रशासनिक साहित्य निर्माण, तकनीकी साधनों की उपलब्धि आदि जैसे क्षेत्रों में परस्पर समन्वय स्थापित करना उपयोगी होगा।

8. केन्द्र में हिन्दी की स्थिति मजबूत करने के लिए राज्यों को भी संघ से पत्र-व्यवहार में आवश्यकतानुसार द्विभाषिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9. शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

यह आशा की जा सकती है कि उपर्युक्त सुझावों का कार्यान्वयन द्विभाषिक नीति को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

बीए-294/2ए टैगोर गार्डन,
नई दिल्ली-110027

शहीद हवलदार सुकमान सुब्बा एवं भारतीय गोर्खा समाज

प्रद्युम्न श्रेष्ठ

गोर्खा अपनी वीरता, साहस और शौर्यता के कारण विश्व विख्यात है। उन्होंने प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में ही नहीं अन्य युद्धों में भी विशेष स्थान बनाया है। गत कुछ एक साल की बात है भारत के सैनिक गुप्तचर विभाग की असफलता के कारण पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारत-भूमि पर प्रवेश करके युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी । हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ''आपरेशन विजय'' के तहत सैनिकों को छिपे हुए घुसपैठियों को भारत-भूमि से खदेड़ने का आदेश दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए भारतीय सैनिकों को तीन महीने से अधिक का समय लगा। भिन्न-भिन्न रेजीमेण्ट के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतीय गोर्खाओं ने भी अपनी बहादुरी और वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को भारतीय सीमा से बाहर किया।

भारत की आन्तरिक सुरक्षा में भी गोर्खाओं के योगदान को भुलाना उचित नहीं है। इतिहास गवाह है कि हैदराबाद के निजामों ने गोर्खा फौज के कारण चौबीस घण्टों के अन्दर भारत सरकार के समक्ष हस्ताक्षर करके हैदराबाद को भारत में विलय किया।

शहीद संजोग क्षेत्री, नाम्ची, पश्चिम सिक्किम, जो आतंकवादियों से वीरतापूर्व लड़ते हुए मारा गया। संजोग क्षेत्री सिक्किम के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा मरणोपरान्त उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया गया।

समय की गति को मापना तथा विधि के विधान का पूर्वाभास करना मानव क्षमता से परे है। समय अपनी गति के साथ कितनी घटनाएं तथा दुर्घटनाएं लेकर चलता है इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता। शहीद हवलदार सुकमान सुब्बा के जीवन में भी इस तरह की एक घटना हुई जो अन्त में उनकी वीरता की मिसाल बनके रह गयी। सिक्किम राज्य के दूसरे शहीद सुकमान सुब्बा हुए जो सिंगताम, पूर्व सिक्किम के निवासी थे।

हवलदार सुब्बा 30 नवम्बर, 2005, जम्मू-कश्मीर के रजौरी सैक्टर में घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हुए। दिनांक 2 दिसम्बर, 2005 को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिक शरीर को बागडोगरा हवाई-अड्डे पर लाया गया और 3 दिसम्बर, 2005 को राजपूत बटालियन के जवानों और सिंगताम की जनता ने अश्रुपूर्ण और गर्व के साथ अपने वीर-पुत्र को अन्तिम विदाई दी। उस दिन सारा बाजार बन्द रखा गया। अन्त्येष्ठी क्रिया में अतिरिक्त जिलापाल, गोर्खा प्रजातन्त्र पार्टी के सभापति और अन्य लोग शामिल हुए थे।

मुख्यमंत्री, डॉ. पवन चामलिड, सिक्किम ने नई दिल्ली से अपना शोक-संदेश भेजा। साथ ही परिवार वालों की सहायता और सहयोग का वचन भी दिया।

भारतीय गोर्खाओं के साथ एक बिडम्बना है कि उन्हें नेपाल राष्ट्र से जोड़ा जाता है। भारत के किसी भी जगह पर हम जाते हैं तो हमें देखकर ''नेपाल से'' ''कहकर सम्बोधित करते हैं। प्रश्न उठता है-एक मुसलमान को देखकर ''पाकिस्तान से'' और एक बंगाली को देखकर ''बंग्लादेश से'' क्यों सम्बोधित नहीं किया जाता? सौतेले बेटों की तरह व्यवहार पाकर भी गोर्खाओं

3531 SRTH/08—6A

ने अपने देश के प्रति वफादारी की है, गद्दारी नहीं। फिर भी हमारी नागरिकता पर प्रश्न चिह्न क्यों?

वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल की यात्रा तक भारत की रक्षा में ही नहीं बल्कि चौतरफा विकास में ईमानदारीपूर्वक योगदान और सहयोग गोर्खाओं ने दिया है। फिर भी उन लोगों के योगदान का उल्लेख इतिहास में नगण्य पाया जाता है। राष्ट्र-धुन से निर्माता कप्तान रामसिंह ठकुरी के संगीत पर संशय भावना और क्षुद्र दृष्टिकोण अपनाने में संकोच नहीं किया गया। ''गोर्खा ऐसी धुन या संगीत बजा नहीं सकता'' कहकर अवहेलना की। शायद ऐसे लोगों को पता नहीं कि 19वीं सदी में मित्रसेन थापा ने अपने गीत और संगीत से हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में जादू चलाया था। गोर्खाओं में वीरता और साहस तो कूट-कूटकर भरा है लेकिन गीत और संगीत भी उन लोगों के जीवन की बहुत ही प्रिय वस्तु या अंग है अथवा अभिन्न अंग है।

युद्ध के समय ''आओ गोर्खा!'', युद्ध-समाप्ति के बाद ''जाओ गोर्खा!'' ऐसी स्वार्थपूर्ण अन्यायपूर्ण और शुद्र धारणा को त्यागकर राष्ट्रीय मूल धारा में समावेश करके गोर्खाओं के साथ न्याय करना अत्यावश्यक है।

– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
(भवन तथा आवास विभाग)
सिक्किम सरकार, गंगटोक ।

3531 SRTH/08—6B